भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1158

दिनांक 09 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: एवियन फ्लू के कारण पक्षियों की मौत

1158. श्री मनोज कोटक, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री कुरूवा गोरांतला माधव, श्री पी.पी. चौधरी, कुमारी प्रतिमा भौमिक, प्रो. अच्युतानंद सामंत, डॉ. रामशंकर कठेरिया, श्री श्रीधर कोटागिरी, श्रीमती चिंता अनुराधा, श्रीमती क्वीन ओझा, श्री के. सुब्बारायण, श्री नायब सिंह सैनी, डॉ. भारतीबेन डी. श्याल, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री पोचा ब्रहमानंद रेड्डी, श्री एन. रेड्डप्प, श्री एस.सी. उदासी, श्री शंकर लालवानी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित राज्यों की संख्या कितनी है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में सूचित मामलों सहित प्रभावित पक्षियों की प्रजातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और इस फ्लू के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या बर्ड फ्लू के कारण देश में कुक्कुट पालकों को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन कुक्कुट पालकों को मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनके पक्षियों को बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मारा जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार देश भर में कुक्कुट की गिरती कीमतों के कारण प्रभावित कुक्कुट पालकों की रक्षा के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है और लगभाग 10 राज्यों में इसके कारण कितना अनुमानित आर्थिक नुकसान हुआ है;

(छ) क्या राजस्थान सहित राज्यों को कार्य योजना 2015 या एएससीएडी योजना के तहत निधि दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार एवियन इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए कोई टीका तैयार करने की प्रकिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों नामत: केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर में

पोल्ट्री/ जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किए गए उपाय तथा उसके साथ-साथ जागरूकता वृद्धि के लिए की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल है:-

I. शीतकाल के दौरान प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण शीतकाल शुरू होने से पहले कुक्कुट फार्मों में निगरानी और जैव-सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की गई।
II. एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु मौजूदा कार्य योजना में संशोधन।
III. कार्य योजना के अनुसार बर्ड फ्लू के नियंत्रण और रोकथाम हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए जिनमें वॉटर बॉडीज, जीवित पक्षी बाजारों, चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्मों आदि के समीप निगरानी बढ़ाना, कंकालों का उपयुक्त निपटान, पोल्ट्री फार्मों में तथा उनके आस-पास जैव-सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, संक्रमित क्षेत्रों से पोल्ट्री की आवाजाही पर प्रतिबंध और प्रारंभिक उपाय करना अर्थात् नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक पीपीई किट तथा सहायक उपकरणों, कीटाणुनाशकों तथा अन्य लॉजिस्टिक का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना शामिल है।
IV. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए निवारक और नियंत्रण उपायों की दैनिक प्रगति की निगरानी हेतु केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
V. निगरानी तथा महामारी विज्ञान संबंधी जांच- पड़ताल करने के लिए प्रभावित राज्यों का दौरा करने हेतु केंद्रीय टीमों की तैनाती।
VI. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय करके तैयारियों की स्थिति का आकलन करने तथा अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभागों के साथ बैठकें की गईं।
VII. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से मनुष्यों में रोग के संचरण के किसी भी जोखिम से बचने के लिए रोग की स्थिति की निकट निगरानी हेतु स्वास्थ्य तथा वन्य प्राधिकारियों के साथ प्रभावी संपर्क तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
VIII. राज्यों को राज्य में संक्रमण की जांच-पड़ताल में तेजी लाने के लिए अपनी बीएसएल-II प्रयोगशालाओं को अभिचिन्हित करने तथा नियंत्रण तंत्र की समय पर शुरूआत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
IX. निगरानी करने, जागरूकता उत्पन्न करने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) खरीदने, नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यों के लिए, जिन कुक्कुट किसानों के पक्षियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मारा गया है अथवा जिनके अंडों और कुक्कुट आहार को नष्ट कर दिया गया, उन्हें मुआवजा देने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई।
X. फेसबुक/ ट्वीटर आदि सहित विभिन्न सोशल-मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से बर्ड फ्लू के संबंध में कुक्कुट किसानों तथा आम जनता को संवदेनशील बनाना और जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) जी, हां। वर्तमान एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप से प्रभावित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 95,181 पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो गई है और 3,36,120 पोल्ट्री पक्षियों को मारा गया है।

(घ) जी, हां। विभाग, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) योजना के पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी) घटक के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता (मौजूदा दरों के अनुसार 50:50 शेयरिंग आधार पर) प्रदान करके बर्ड फ्लू सहित पशु रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के प्रयासों को पूरा करता है। जिन किसानों के पोल्ट्री पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री आहार को कार्य योजना के अनुसार मारा/नष्ट कर दिया गया है, उन पोल्ट्री किसानों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ड.) विभाग ने न केवल एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम हेतु जागरूकता में वृद्धि करने के लिए बल्कि भली प्रकार से पकाए गए पोल्ट्री अंडों और मांस के सेवन से इसके प्रसार के भय को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी/ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(च) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2015 से 2020 के दौरान केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और दमन प्रशासन ने एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप की सूचना दी है। उस अवधि के दौरान देश में बर्ड फ्लू के कारण कुल 2,00,368 पक्षियों (पोल्ट्री/ जंगली पक्षी) की मौत की सूचना दी गई है और कुल 11,32,865 पोल्ट्री को मारने की सूचना दी गई है।

(छ) विभाग ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) योजना के तहत पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी) नामक घटक के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2020-21 में 160.11 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिनमें राजस्थान को दी गई 10.41 करोड. रुपए की राशि शामिल है। जारी की गई निधियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(ज) जी, नहीं। विश्व पशु स्वाथ्य संगठन (ओआईई) के अनुसार यदि टीकाकरण का वांछित परिणाम उन्मूलन है, तो टीकाकरण को एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के नियंत्रण का समाधान नहीं माना जाता। संक्रमण की स्थिति में निगरानी प्रणाली के प्रयोग, कड़ी जैव-सुरक्षा और निर्वासन के बिना इस बात की संभावना है कि ये वायरस टीकाकृत पोल्ट्री आबादी में स्थानिक हो सकते हैं। टीकाकृत आबादी में वायरस के लंबे समय तक विचरण के परिणामस्वरूप वायरस में एंटीजेनिक तथा आनुवंशिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसा कई देशों में होने की सूचना मिली है। टीकाकरण के दीर्घकालिक उपयोग से या तो रोग स्थानिक हो गया है और इसलिए व्यापक हो गया है, या फिर प्रभावित पशुओं में संक्रमण का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए किसी भी टीके के उपयोग की अनुमति नहीं दी है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिन जिलों से मामलों की सूचना मिली	प्रभावित हुईं प्रजातियां
1	केरल	कोट्टायम, अलाप्पुझा	बत्तख (कुक्कुट)
2	राजस्थान	बारां, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, पाली, जैसलमेर, मोहर, सिरोही, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, जोधपुर, झुंझुनू	कौवा/ जंगली पक्षी
3	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर	प्रवासी पक्षी/ कौवा
4	मध्य प्रदेश	उज्जैन, नीमच, इंदौर, शिवपुरी, राजगढ़, आगर, शाजापुर, विदिशा, गुना, देवास, खंडवा, मालवा, भोपाल, मंदसौर, धार, खरगोन, सतना, बड़वानी, होशंगाबाद, मंडला, दतिया, राजगढ़, सागर, अशोकनगर, बुरहानपुर। छिंदवाड़ा, डिंडोरी, हरदा, छतरपुर, झबुआ, रायसेन, हरदा	कुक्कुट, कौवे और प्रवासी पक्षी
5	गुजरात	जूनागढ़, सूरत, वलसाड, वड़ोदरा, डांग, नर्मदा, नवसारी, भावनगर, गिर सोमनाथ	प्रवासी पक्षी/कुक्कुट
6	हरियाणा	पंचकूला, अम्बाला	पोल्ट्री / कौवा
7	उत्तर प्रदेश	कानपुर, एटा, खीरी, उन्नाव	जंगली पक्षी/ कुक्कुट
8	महाराष्ट्र	मुंबई, ठाणे, परभणी, दापोली, बीड, यवतमाल, अहमदनगर, नांदेड़, लातूर, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, रायगढ़, सतारा, नागपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, गोंदिया, हिंगोली, बुलढाना, अकोला, नासिक, बुलढाना, धुंले, नंदुरबार	कुक्कुट/कौवे/ प्रवासी पक्षी
9	दिल्ली	सेंट्रल पार्क और संजय झील, पटपड़गंज, डीडीए पार्क-रोहिणी, नजफगढ़; राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, लाल किला, डीडीए पार्क, हस्तसाल गांव, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय	बतख (जंगली)/ कौवा / जंगली पक्षी
10	छत्तीसगढ़	बालोड, धमतरी,बस्तर, दांतेवाड़ा	कुक्कुट/कौवा
11	उत्तराखंड	कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग	कौवे
12	पंजाब	रूपनगर, सस नगर	कुक्कुट और जंगली पक्षी
13	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, बारामूला, उधमपुर, पुंछ, उधमपुर	कौवा/कुक्कुट
14	बिहार	पश्चिमी चंपारण	कौवा

अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2020-21 के दौरान एएससीएडी के तहत जारी राशि (दिनांक 08.02.2021 तक) लाख रुपए में
1	आंध्र प्रदेश	2048.59
2	अरुणाचल प्रदेश	414.02
3	छत्तीसगढ़	486.25
4	हरियाणा	694.91
5	हिमाचल प्रदेश	64.78
6	जम्मू और कश्मीर	1724.58
7	कर्नाटक	2544.48
8	मणिपुर	424.86
9	राजस्थान	1041.24
10	तमिलनाडु	80.91
11	उत्तराखंड	30.62
12	उत्तर प्रदेश	6313.98
13	पश्चिम बंगाल	141.45
	कुल	**16010.68**